

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां सिन्ध

क्रमांक 156/25

27.10.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री अंकर शुभ, पुत्री, निनि रामप्रसाद पुत्री माधोलाल प्रार्थना
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्पाजागीर पञ्जाब मण्डल खोपर तहसील छबड़ा
 जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 6 में खातेदार / मरखतेदार का
 नाम/प्रति अंकर खाई माधोलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिस सम्मानजनक रूप से
अंकर खाई अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी खोपर
 से करवाने पर पटवारी ने अंकर खाई के बजाय अंकर खाई
 करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में अंकर खाई
 के बजाय अंकर खाई करना उचित बताया।
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान गूराजस्त अधिनियम 1956
 एवं नियम 369 राजस्थान गूराजस्त (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम पीपल्पाजागीर के खाता संख्या 6 में खातेदार / मरखतेदार का नाम अंकर खाई
अंकर खाई के स्थान पर सम्मानजनक रूप से अंकर खाई रखे जाने का
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार गूराजस्त रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारां
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)